COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE INDIA FIVE RUPEES

प्र.क. आर– /13

प्रस्तुती दिनांक 11/09/2013

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

R 3832-II/13

श्रीमती गीताबाई पति श्री भीलुसिंह रघुवंशी
आयु – 63 वर्ष, धंधा – कृषि,
निवासी – ग्राम देदला तह. व जिला धार .... प्रार्थी

विरूद्ध

1. प्रतापसिंह पिता स्व. दौलाजी रघुवंशी
   आयु – 62 वर्ष, धंधा – कृषि,
2. शंकरसिंह पिता स्व. दौलाजी रघुवंशी
   आयु – लगभग 53 वर्ष, धंधा – कृषि,
3. बाबू पिता स्व. श्री दौलाजी रघुवंशी
   आयु – 58 वर्ष, धंधा – कृषि

सभी निवासी – ग्राम देदला तह. व जिला धार .... विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा प्रकरण क्र.646 /अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 02.09.2013 जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है उक्त आदेश से व्यथीत व असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3832–II / 2013

जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–8–2014	आवेदिका की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें स्थगन बढ़ाये जाने के बिन्दु पर सुना गया । आवेदिका की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 2–9–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील ग्राह्य की जाकर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, अतः इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्थगन दिये जाने के पश्चात कोई भी कार्यवाही शेष नही रह जाती है, क्योंकि प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण अपर आयुक्त के द्वारा ही किया जाना है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख मगाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त स्थिति में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 11–9–13 आगामी 90 दिवस के लिए यथावत जारी रखा जाकर प्रकरण अपर आयुक्त को गुण–दोष पर निराकरण हेतु भेजा जाता है । इस निगरानी में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	